



Vindhya Telelinks Ltd.

Reg. Office : Udyog Vihar, P.O. Chorhata
Rewa - 486 006 (M.P.) INDIA
Tel. : (07662) 400400 • Fax : (07662) 400591
E-Mail : headoffice@vtirewa.com
Website : www.vtirewa.com
PAN No. AAACV7757J
CIN No. L31300MP1983PLC002134

VTL/CS/16-17/

9 JAN 2017

BSE Ltd.
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J.Towers, Dalal Street,
Fort,
MUMBAI-400 001

The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051

Company's Scrip Code: 517015

Company's Scrip Code: VINDHYATEL EQ

Dear Sir,

**Sub: Newspaper advertisement pursuant to Regulation
47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015**

In pursuance to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the Newspaper advertisement dated 8th January, 2017 published in one leading English newspaper namely 'The Hitavada' and one Hindi newspaper having wide circulation in the Rewa district in which registered office of the Company is situated i.e. 'Dainik Jagran' publishing the Postal Ballot Notice of the Company.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
for Vindhya Telelinks Ltd.


(Ashok Mishra)

Company Secretary

Encl: As above.



आंगनवाड़ी केंद्र बंद
केंद्र के खुलने का
प्र खुलता ही नहीं है।

मिला



तने चाहिए। यदि समत
संबंधित पर्यवेक्षकों,
तोषजनक जवाब न
रंकम अधिकारी रीवा

तो लगेगा जुर्माना

जागरण, रीवा। पहले ही प्रयास में स्वच्छता रैंकिंग दौड़ सफलता मिलने से उत्साहित ननि प्रशासन ने अब खुले में शौच करने वाले और सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर चाबुक चलाने की तैयारी कर ली है। ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना ठोका जायेगा। जुर्माना अदा न करने पर संबंधितों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

जुर्माने की राशि तय

- सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो 100 रुपए जुर्माना ● सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब किया तो 250 रुपए जुर्माना ● सार्वजनिक स्थानों पर शौच किया तो 500 रुपए जुर्माना ● पशु आवारा छोड़ने पर 1000 रुपए जुर्माना ● रासायनिक अपशिष्ट कचरा डालने पर 1000 रुपए जुर्माना ● हानिकारक द्रव्य बहाने पर 1000 रुपए जुर्माना

स्वच्छता रैंकिंग दौड़ न रापा ननि की भागीदारी सुनिश्चित

स्वच्छता क्वालिटी ऑफ इंडिया ने दिया मापदंडों के पालन का सर्टिफिकेट

जागरण, रीवा। पिछले कई महीने से स्वच्छता रैंकिंग के लिए भाग दौड़ कर रहे रीवा नगरनिगम को पहले चरण में सफलता मिल गई है। स्वच्छता क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन में रीवा नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान को जारी मानक के तहत कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र दे दिया। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले क्वालिटी कंट्रोल दिल्ली की एक सदस्यीय टीम आयी थी जिसने आधा दर्जन मुहल्लों में निरीक्षण कर स्वच्छता अभियान की मानीटरिंग की थी। अभियान को मानक के आधार पर पाये जाने पर स्वच्छता रैंकिंग के पहले पड़ाव



में ननि प्रशासन को सफलता मिल गई है। अब अगले चरण में अभियान के तहत कितना कारगर काम हुआ उसके आधार पर रैंकिंग तय की जायेगी। स्वच्छता रैंकिंग दौड़ में शामिल होने पर ननि कर्मचारियों में उत्साह है। उल्लेखनीय है कि नगर के नौ प्रमुख बस्तियों निपनिया बस्ती, चेलवा टोला हनुमान बस्ती, दोही बस्ती, मालवीय टोला, गल्ला मंडी, उद्योग बिहार, महेश मेमोरियल विद्यालय, पीके स्कूल, और चिरहुला तालाब को मानक के आधार पर ओडीएफ माना है।

परा कलेक्ट्रेट



नोटबंदी के साथ मोदी हटाओ आंदोलन हो

इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने कहा कि नोटबंदी के साथ-साथ मोदी को हटाने का आंदोलन किया जाना चाहिए। नोटबंदी से आम आदमी परेशान तो हुआ ही, अब बेरोजगारी भी बढ़ेगी।

निभाएं विपक्ष की जिम्मेदारी

रीवा प्रभारी वीरेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के प्रति सरकार व विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और विपक्ष सरकार की कमियों को जनता के सामने रखकर लड़ाई लड़े।

अध्यक्ष तनुज त्रिपाठी सनी, विक्रम सिंह, रूद्रमणि पाण्डेय, संजीव गौतम, केपी सिंह, आशिक खान, सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



विन्ध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड

CIN: L31300mp1983PLCOO2134

पंजीकृत कार्यालय : उद्योग बिहार, डाकघर : चोरहटा, रीवा - 486006 (म.प्र.)
Telephone No (07662) 400400, Fax No. (07662) 400591
Email : hedoffice @vtlrewa.com, Website: www.vtlrewa.com

डाक मत सूचना

विन्ध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड (कम्पनी) के अंशधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 व कम्पनियों के लागू नियमों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 एवं सूचीकरण अनुबंध/ अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने दिनांक 5 जनवरी, 2017 को उन अंशधारकों को जिनका नाम दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स/ रिकार्ड ऑफ डिपॉजिटरीज में दर्ज है, एक डाक मतपत्र नोटिस, एक व्याख्यात्मक सूचना पत्र, एक डाक मतपत्र एवं एफ प्री-पेड व्यवसायिक उत्तर लिफाफा (संयुक्त रूप से डाक मतपत्र दस्तावेज) के प्रेषण का कार्य पूर्ण कर लिया है। यह डाक मतपत्र, विशेष प्रस्ताव द्वारा निदेशक मंडल को कम्पनी की समग्र उधार सीमा के अंतर्गत व्यक्तिगत नियोजन के आधार पर राशि रू. एक सौ पचास करोड़ से अधिक नहीं के बाण्ड्स/शोध अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों (NCDs)/ अन्य प्रतिभूतियों के भुगतान हेतु प्रस्ताव अथवा आमंत्रण को अनुमोदित करने के लिए अंशधारकों की स्वीकृति मांगने के लिए डाक मतपत्र दस्तावेज में उल्लेखित विवरण के अनुसार है (प्रस्तावित प्रस्ताव) अंशधारकों को यह विकल्प है कि वे इलेक्ट्रॉनिक या डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। कम्पनी ने अपने सभी अंशधारकों के लिये ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) की सेवाएँ ली हैं। ई-वोटिंग सुविधा www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध है जो भी अंश धारक मतपत्र फार्म के माध्यम से मत देना चाहते हैं, वे www.evotingindia.com या www.vtlrewa.com लिंक से मतदान फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

श्री राजेश कुमार मिश्रा (संवीक्षक) और अगर वह किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है तो श्री आर.एस.बजाज को विधि के अनुसार और एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक का पता इस अनुसार है श्री राजेश कुमार मिश्रा, संवीक्षक C/O लिंक इनटार्इम इंडिया प्रा.लिमिटेड (यूनिट: विन्ध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड) सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड, एल.बी.एस.मार्ग, भाण्डुप (पश्चिम) मुम्बई - 400078। डाक मतपत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अवधि शुक्रवार दिनांक 6 जनवरी, 2017 (सुबह 9.00 बजे) से प्रारंभ होगी और रविवार दिनांक 5 फरवरी, 2017 (सायं 5.00 बजे) समाप्त हो जाएगी। पूर्ण भरा हुआ और हस्ताक्षरयुक्त डाक मतपत्र संवीक्षक के पास दिनांक 5 फरवरी, 2017 (सायं 5.00 बजे) तक पहुंच जाना चाहिए। उक्त दिनांक (5 फरवरी, 2017) के पश्चात डाक मतपत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान को वैध नहीं माना जाएगा एवं अंतिम तिथि के उपरांत किए गए ई-मतों को अवरूद्ध किया जाएगा।

डाक मतपत्र से मतदान एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत को कम्पनी सचिव, विन्ध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड, उद्योग विहार, पो.आ. चोरहटा रीवा-486006 (म.प्र.) को या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स लिंक इनटार्इम इंडिया प्रा.लिमिटेड, सी-13 पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड, एल.बी.एस.मार्ग, भाण्डुप (पश्चिम) मुम्बई- 400078 को संबोधित किया जा सकता है।

कृते विन्ध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड,

अशोक मिश्रा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 7 जनवरी 2017
रीवा : (म.प्र.)